उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.

(U.P. GOVT. UNDERTAKING)
ISO 9001 : 2008 (QMS) and ISO 14001 : 2004 (EMS) CERTIFIED

EPBX 2720671 / 2720665 / 2720670
Fax-0522-2720846

Website : http://www.uprnn.co.in

पंजीकृत कार्यालय :
विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010

Registered Office :
Vishweshwaraiya Bhawan, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010

संख्या 176/4/ प्र.नि./ग्रा० फा०/रा०नि०नि०/2017 दिनांक 15-4-2017

समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक
उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0
....

अतिमहत्वपूर्ण

विषयः–विभिन्न परियोजनाओं में शासन द्वारा स्वीकृत मदों/विशिष्टियों/मात्राओं के अनुसार कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

निगम द्वारा सम्पादित करायी जा रही विभिन्न परियोजनाओं में शासन द्वारा स्वीकृत मदों/विशिष्टियों/मात्राओं के अनुसार ही कार्य सम्पादित कराये जाने के निर्देश कार्यालय आदेश संख्या–745/सर्कुलर फा0/प्रब0आग0–2/म0प्र0(तक0)/रानिनि/2014 दिनांक 22.12.2014 द्वारा निर्गत किये गये हैं, परन्तु कुछ इकाईयों पर इसका पूर्णतया पालन न किये जाने के प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे विचलन की स्थिति में परियोजना की लागत प्रभावित हो जाती है एवं अन्तिम चरण में आवश्यक कार्य अधूरे रह जाते, जिससे परियोजना की उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह लगता है एवं निगम की छबि प्रभावित होती है। उपरोक्त आदेशों को पुनः निम्नानुसार उद्धृत करते हुए अपेक्षा की जाती है कि इनका पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः–

1. शासन द्वारा स्वीकृत मदों/विशिष्टियों/मात्राओं/क्षेत्रफल के अनुसार ही वास्तुविदीय मानचित्र तैयार कराये जायें। परियोजना पर नियोजित वास्तुविद को शासन द्वारा स्वीकृत मदों/विशिष्टियों/मात्राओं/क्षेत्रफल की विवरण (ई0एफ0सी0) की प्रति उपलब्ध करा दी जाये एवं कार्य सम्पादन से पूर्व वास्तुविद् द्वारा निर्गत मानचित्रों का स्वीकृति के सापेक्ष तुलनात्मक विवरण तैयार करा लिया जाये। वास्तुविद् के भुगतान के समय इस तुलनात्मक विवरण प्रपत्र को संज्ञान में लेकर ही इकाई द्वारा परियोजना के वास्तुविद् का भुगतान किया जाये।
2. विस्तृत/पुनरीक्षित आगणनों के गठन में यह तुलनात्मक विवरण प्रपत्र संलग्न किया जाना बाध्यता होगी एवं शासन द्वारा स्वीकृत मदों/विशिष्टियों/मात्राओं/क्षेत्रफल में विचलन हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ही परियोजना में तदनुसार कार्यों का सम्पादन कराया जाये। आगणन में तुलनात्मक विवरण अवश्य संलग्न किया जाये जिसमें विचलन के औचित्य की टिप्पणी भी अंकित हो।
3. परियोजना की स्वीकृति होते ही कार्य प्रारम्भ से पूर्व बजट आबंटन को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता अनुसार चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार कर ली जाये एवं समस्त भवन/कार्य एक साथ प्रारम्भ न कराकर चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के अनुसार ही कार्य कराया जाय ताकि जैसे–जैसे भवन पूर्ण होते जायें, वह कियाशील होते जायें। यह भी ध्यान रखा जाये कि यदि एक ही प्रकृति के कई ब्लाकों/टावर का निर्माण प्रस्तावित हों, तो भी एक साथ सभी ब्लाक/टावर प्रारम्भ कराने के बजाय धन आबंटन की स्थिति के अनुसार ही कार्य टेक–अप किये जायें। यह भी ध्यान रखा जाये कि जो भवन निर्मित हो रहे हैं, के सम्पर्क मार्ग एवं जल निकास व एप्रन आदि भवन के फिनिशिंग के समय अवश्य करा लिये जाये, जिसकी इनकी कियाशीलता में कोई अवरोध न रहे।

4. समस्त इकाई प्रभारी/अंचलीय महाप्रबन्धक बाह्य वास्तुविद का भुगतान से पूर्व भवन की डिजाइन में लिए गये कोड एवं स्टेबिलीटी का प्रमाण पत्र तथा शासन द्वारा स्वीकृत मदों/विशिष्टियों/ मात्राओं/क्षेत्रफल के अनुसार ही वास्तुविदीय मानचित्र का निर्धारण किया गया है, का प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या–163/कैम्प/महा0(कन्स0)/मानक एग्रीमेन्ट/रानिनि/13 दिनांक 1.10.2013 द्वारा निर्गत बाह्य वास्तुविद् एवं संरचनीय मानचित्र कन्सल्टेंट के मानक अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 05 को सम्मिलित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा की स्थिति सम्बन्धित इकाई के अधिकारी उत्तरदायी होंगें। अंचलीय महाप्रबन्धक अपने इकाईयों के निरीक्षण हेतु जाते समय उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन किया जा रहा है, का अनुश्रवण अवश्य कर लें।

भवदीय,

(आर0के0गोयल) 15/4/17

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–महाप्रबन्धक(तकनीकी)/महाप्रबन्धक(वाणिज्य)/महाप्रबन्धक(कन्सल्टेंसी),मुख्य वास्तुविद्, उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 ..... को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक